



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक-911/12-1, दिनांक: मसूरी, 03/9/2019।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 30 Poles per KM) for laying of " Throgh Installation by Poles Yamuna Bridge to Kempty Diversion to Kempty. (Total length-16.00 K.M) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.486है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 19870 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) को प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :- आनलाईन प्रस्ताव सं० दिनांक एवं Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) की पत्र संख्या-रिक्त आनलाईन प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 13-08-2019

महोदय,

Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab) द्वारा जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 30 Poles per KM) for laying of " Throgh Installation by Poles Yamuna Bridge to Kempty Diversion to Kempty. (Total length-16.00 K.M) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.486है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 19870 के तहत गैर वानिकी कार्यों का आनलाईन वन भूमि का प्रत्यावर्तन की अनुमति का प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की स्कैन हार्ड प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। प्रभाग स्तर से प्राप्त प्रस्ताव की जाँच /परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित प्रस्ताव की एक (01) स्कैन हार्ड प्रति प्रेषित की जा रही है। विषयांकित कार्य के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग, व प्रयोक्ता एजेन्सी के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा दिनांक 30-04-2018 को किया गया है। अद्योहरताक्षरी द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थल का दिनांक 02-09-2019 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष प्रभावित /वाधित होना निहित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :- प्रस्ताव की एक प्रति।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 911 /दिनांकित।

प्रतिलिपि - Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, oplot No.- 237, Tower Greens, 3 rd Floor, Phase-VII B, Industrial Area, Mohali(Panjab) को उक्त कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

भाग — II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 30 Poles per KM) for laying of " Throgh Installation by Poles Yamuna Bridge to Kempty Diversion to Kempty. (Total length-16.00 K.M) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टे0में)	0.486 हेक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.204 हेक्टर, आरक्षित वन भूमि, खैरागाड़ ब्लाक 0.282 हेक्टर, (प्रस्तावित कार्यस्थल/मोटर मार्ग से लगे ग्रामों की सिविल सोयम भूमि) 0.486 हेक्टर
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य के समरेखण/स्थल पर कोई वृक्ष बाधित /प्रभावित होना निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के संलग्नक-23 पर चस्पा किया गया है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन खैरागाड़ ब्लाक तथा प्रस्तावित कार्यस्थल/मोटर मार्ग से लगे ग्रामों की सिविल सोयम भूमि की सीमा अन्तर्गत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक-13 पर तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक -29 पर तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र चस्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक -28 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन वर्तमान दरों पर संलग्न है।

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	चूँकि प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राविधान किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.486 है० वन भूमि के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन हेतु ₹0 5,88,060.00(₹0 पाँच लाख अठ्ठासी हजार साठ मात्र) का प्राक्कलन संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.486 है० वन भूमि के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राक्कलन हेतु ₹0 5,88,060.00(₹0 पाँच लाख अठ्ठासी हजार साठ मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	-----
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक 30-04-2018 को स्थलीय संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की गयी है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02-09-2019 को किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला- टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421.00 वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 97 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 985.8533 है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 521.6025 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 236.9612 हैक्टेयर / 651.6392 है० (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1-213.75 है० / 531.38 है० जिला / प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित कार्य के निर्माण हेतु प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक: 03 - 9 - 2019।

स्थान:- मसूरी,

नाम:- (कृष्ण नसीम)
संरक्षक वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी